न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पहाडी (भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी संजय गोयल आर0ए0एस

मुकदमा नं0 150 / 2020

1. मुस्तकीम पुत्र रसीद जाति मेव निवासी ग्राम हैवतका तहसील पहाडी
2. आसिफ
3. अफरोज
4. रूकसार पिसरान रसीद नाबालिगान वली सरपस्त माता खुद जमशीदा पत्नी रसीद जाति मेव निवासी ग्राम हैवतका तहसील पहाडी

प्रार्थीगण

बनाम

1. रसीद पुत्र जमाल
2. समीन पुत्र रसीद जाति मेव निवासी ग्राम हैवतका
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार एवं उपपंजीयक पहाडी
4. कश्मीरी पत्नी जमाल
5. रसीदन पुत्री जमाल जाति मेव निवासी ग्राम हैवतका तहसील पहाडी
6. रूकसीना पुत्री जमाल पत्नी रहीस
7. बसमीना पुत्री जमाल पत्नी वसीम जाति मेव निवासी ग्राम हैवतका हाल ग्राम अगोन तहसील फिरोजपुर झिरका नूंह मेवात हरियाणा
8. नसीबन पुत्री जमाल पत्नी सद्दान जाति मेव निवासी देवसेरस (मथुरा) यूपी

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0 एक्ट

1. श्री राजवीर सिंह वकील प्रार्थीगण
2. श्री सतीश बुन्देला वकील अप्रार्थीगण

दिनांक :–01 / 10 / 2021

निर्णय

प्रार्थीगण द्वारा यह प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0 एक्ट के तहत इस आशय का पेश किया कि विवादित आराजी खाता

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

संख्या 176 की आराजी खसरा नम्बर 1/0.32, खाता संख्या 31 के आराजी खसरा नम्बर 370/0.75, 76/0.61, किता 2 रकबा 1.36 है0 व खाता संख्या 23 की आराजी खसरा नम्बर 373/0.01, 374/0.48, 375/0.47, किता 3 रकबा 0.96 है0 बांके ग्राम गोपालगढ तथा खाता संख्या 13 की आराजी खसरा नम्बर 116/0.16, खाता संख्या 14 की आराजी खसरा नम्बर 163/0.28, तथा खाता संख्या 52 की आराजी खसरा नम्बर 10/1.42, 138/0.54, 174/0.49, 175/0.47, किता 4 रकबा 2.92 है0 तथा खाता संख्या 81 की आराजी खसरा नम्बर 401/0.28, खाता संख्या 34 के आराजी खसरा नम्बर 198/0.17, 425/0.33, 427/0.35, 431/0.35, 432/0.23, 433/0.27, 435/0.19, 436/0.39, किता 8 रकबा 2.28 है0 तथा खाता संख्या 58 की आराजी खसरा नम्बर 257/0.44, 434/0.14, 439/0.07, 440/0.13, 441/0.14, 442/0.22, 443/0.08, 58/0.74, किता 8 रकबा 1.96 है0, खाता संख्या 148 के आराजी खसरा नम्बर 171/0.78, खाता संख्या 178 के खसरा नम्बर 259/0.17, 261/0.12 बांके ग्राम हैवतका तथा खाता संख्या 29 की आराजी खसरा नम्बर 142/0.51, खाता संख्या 4 के आराजी खसरा नम्बर 33/0.51, 89/0.54, किता 2 रकबा 1.05 है0, व खाता संख्या 5 की आराजी खसरा नम्बर 64/0.53 एवं खाता संख्या 28 आराजी खसरा नम्बर 138/0.44, 63/0.28, 72/0.47, किता 3 रकबा 1.19 बांके ग्राम पोटलाकी तहसील पहाडी में स्थित है। विवादित आराजी पर प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण संख्या 2 के दादा व अप्रार्थी संख्या 1 के पिता जमाल पुत्र ईशब की खातेदारी की आराजी है जिसमें प्रार्थीगण का दादा खाता 376 में पूर्ण हिस्सा, खाता संख्या 14 में 1/3 हिस्सा, खाता संख्या 23 में 1/6 हिस्सा, खाता संख्या 13 में 1/2 हिस्सा, खाता संख्या 31 में 1/6 हिस्सा, खाता संख्या 52 में 1/4 हिस्सा, खाता संख्या 81 में 1/3 हिस्सा, खाता संख्या 34 में 1/5 हिस्सा, खाता संख्या 58 में पूर्ण हिस्सा, खाता संख्या 148 में 1/5 हिस्सा, खाता संख्या 57 में 1/2 हिस्सा , खाता संख्या 159 में 1/2 हिस्सा, खाता संख्या 178 में पूर्ण हिस्सा, खाता संख्या 29 में पूर्ण हिस्सा, खाता संख्या 5 में 1/3 हिस्सा, खाता संख्या 4 में 1/2 हिस्सा, तथा खाता संख्या 28 में पूर्ण हिस्से का खातेदार काश्तकार दर्ज रिकॉर्ड है। विवादित आराजी प्रार्थीगण, अप्रार्थीगण संख्या 2 के दादा व अप्रार्थी संख्या 1 के पिता जमाल की खातेदारी की भूमि है। जिसे जमाल अपने जीवन काल वाहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज रहकर काश्त करता रहा । लेकिन प्रार्थीगण का दादा काफी वृद्ध हो गया इसलिए जमाल ने काफी समय पूर्व ही अपने जीवन काल में आराजी को वाहिस्सा बराबर प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 को सौंप दिया। तभी से प्रार्थीगण वाहिस्सा बराबर आराजी पर काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है । अप्रार्थी संख्या 1 जुआ व शराब में लिप्त रहता है जिसके सोचन समझने की

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

शक्ति क्षीर्ण हो गई है जिसका फायदा उठाकर अप्रार्थी संख्या 2 अप्रार्थी संख्या 1 को बहकाकर आराजी में सम्पूर्ण रकबे का विरासत का दाखिल खारिज अप्रार्थी संख्या 1 के नाम कराकर सम्पूर्ण आराजी का बयनामा अपने नाम कराना चाहता हैं आराजी पैतृक आराजी है और आराजी पैतृक होने के कारण अपने दादा की सम्पत्ति में प्रार्थीगण का वाहिस्सा बराबर हित निहित है । प्रार्थीगण के दादा का देहान्त दिनांक 24/01/2017 को हो चुका है। किन्तु फिर भी राजस्व रिकॉर्ड में जमाल का नाम दर्ज होता चला आ रहा है। प्रार्थीगण जिसे कलमजन कराकर राजस्व रिकॉर्ड में अपने आपको वाहिस्सा बराबर खातेदार काश्तकार दर्ज करा पाने के अधिकारी है। उक्त गलत इन्द्राज का इल्म दिनांक 18/08/2020 को नकल जमाबन्दी लेने पर हुआ । विधि वजह प्रार्थीगण खिलाफ अप्रार्थीगण डिक्लेशन इस आशय का जारी करा पाने के अधिकारी है कि वे अपने दादा जमाल की समस्त आराजी में वाहिस्सा बराबर के हिस्सेदार है तथा अपने आपको राजस्व रिकॉर्ड में खातेदार काश्तकार दर्ज करा पाने के अधिकारी है। अप्रार्थीगण द्वारा दिनांक 18/08/2020 को बांके ग्राम हैवतका में ऐलानिया धमकी दी है कि वह विवादित आराजी सम्पूर्ण हो बेचान कर अप्रार्थी संख्या 2 व अन्य दीगर व्यक्तियों को करके रहेगे। यदि अप्रार्थीगण अपने धमकी भरे इरादे में कामयाब हो गये तो प्रार्थीगण को अपरमित क्षति होगी। विधि वजह प्रार्थीगण अप्रार्थीगण को जरिये हुक्म इम्तनाई चन्द रोजा से पाबन्द करा पाने के अधिकारी है। अतः निवेदन है कि अप्रार्थीगण को पाबन्द फरमाया जावे कि वे आराजी मुत0 को दीगर व्यक्तियों को रहनवय मुन्तकिल ना करे राजस्व रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया अप्रार्थीगण जरिये वकील न्यायालय में उपस्थित आये दिनांक 15/07/2021 को जबाब इस आशय का पेश किया कि प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र पेश करते समय अप्रार्थीगण को षडयन्त्र के तहत जानबूझकर पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया गया है और सही तथ्यों को छिपाया है। प्रार्थीगण के पिता/पुत्र जमाल के दो पत्नीयां थी जिनमें पहली पत्नी शरीफन थी पूर्व में ही ग्राम नन्देराबास तहसील कामां में खानन्दाज हो गई। उसके बाद रसीद का जन्म हुआ । उसी दौरान जमाल ने दूसरी पत्नी कश्मीरी से निकाह कर लिया जिसके अप्रार्थीगण बसमीना, नसीमन, रूकसीना, रसीदन, पैदा हुई जो आज भी अपने मृत्तक पिता जमाल की आराजी पर अपनी माता कश्मीरी के साथ मुताबिक हिस्सा कब्जा काश्त है। प्रार्थीगण के पिता/पति जमाल की पहली पत्नी शरीफन से जन्मा पुत्र रसीद अप्रार्थी संख्या 1 ने षडयन्त्र रचकर अपने पुत्रों द्वारा डिक्लेशन का दावा करवाकर चुपचाप तरीके से वाद

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

पत्र/प्रार्थना पत्र पेश किया है और अप्रार्थीगण को उनके पिता/पति जमाल की आराजी से महरूम करना चाहते है। प्रार्थना पत्र के प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण संख्या 2 को अप्रार्थी संख्या 1 के जीवित रहते हुये अप्रार्थी संख्या 1 के वारिसान को पैतृक सम्पत्ति में कोई हिस्सा नहीं है। चूंकि मृत्तक जमाल की सम्पत्ति में प्रार्थीयागण जिनमें पुत्रीयों बसमीना, नसीमन,रूकसीना,रसीदन, तथा पत्नी कश्मीरी का उनके पिता/पति को पक्षकार बनाये जाना आवश्यक है। जिससे न्यायालय के संज्ञान में सही जानकारी लायी जा सकें। अप्रार्थी संख्या 1 रसीद की माँ सरीफन की ग्राम नन्देराबास में खानन्दाज हो जाने की वजह से कोई हिस्सा नहीं है। प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी का असल रिकॉर्डेड खातेदार अप्रार्थी संख्या 5 लगायत 9 व अप्रार्थी संख्या 1 पिता/पति जमाल है जिसके मरने के बाद मृत्तक जमाल के असल वारिसान के नाम राजस्व रिकॉर्ड इन्द्राज किया जाना है। इस विनाय पर दावा वादी काविले खारिजी है। अतः जबाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज फरमाया जावें।

बहस वकील फरीकेन सुनी गई। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया ।

1. **प्रथम दृष्टया प्रकरण :–** प्रथम दृष्टया प्रकरण में प्रार्थीगण ने उक्त प्रार्थना पत्र विरासतन आधार पर अपने दादा जमाल की आराजी में से अपने हिस्से को प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत किया है। प्रार्थीगण का यह कथन है कि उनके दादा जमाल की मृत्यु 24/01/2017 को हो चुकी है। अप्रार्थी संख्या 1 सम्पूर्ण आराजी को विरासतन प्राप्त कर बेचना चाहता है । जबकि अप्रार्थीगण का कथन यह है प्रार्थीगण ने दावा क्लीन ट्रैण्ड से प्रस्तुत नहीं किया है। प्रार्थीगण ने जमाल की दूसरी पत्नी से पैदा हुये वारिसान को पूर्व में दावा में पक्षकार भी नहीं बनाया था। अप्रार्थी संख्या 1 के जीवित रहते हुये, प्रार्थीगण एवं अन्य अप्रार्थीगण को कोई हक नहीं है।

   यहाँ यह तथ्य महत्वपूर्ण है कि प्रार्थीगण ने अपने पिता के जीवित रहते विरासतन अधिकार प्राप्त करने का दावा किया है। अप्रार्थी संख्या 1 के पिता की मृत्यु हो चुकी है । अतः विरासत अप्रार्थी संख्या 1 के नाम आयेगी। प्रार्थीगण एवं अन्य अप्रार्थीगण को अप्रार्थी संख्या 1 से आराजी प्राप्त होगी। प्रार्थीगण ने भविष्य में होने वाली शंका के आधार पर दावा प्रस्तुत किया है । अगर स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है तो अप्रार्थी संख्या 1 के नाम विरासतन आराजी का दाखिला खुलना संभव नहीं होगा । अतः प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थीगण की अपेक्षा अप्रार्थी संख्या 1 में निहित है।

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

2. **सुविधा सन्तुलन :–** प्रथम दृष्टया प्रकरण से यह बखूबी प्रमाणित है कि प्रार्थीगण ने अप्रार्थी संख्या 1 के जीवित रहते विरासतन आराजी प्राप्त करने का दावा किया है प्रार्थीगण ने भविष्य में होने वाली शंका के आधार पर दावा प्रस्तुत किया है । अगर स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है तो अप्रार्थी संख्या 1 के नाम नामांतरण नहीं खुल पायेगा। जिससे उन्हे राज्य सरकार से प्राप्त होने वाली सुविधा यथा ऋण आदि से वंचित रहना पडेगा। अतः असुविधा भी अप्रार्थी संख्या 1 को अधिक होगी। अतः सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण की अपेक्षा अप्रार्थी संख्या 1 में निहित है।

3. **अपूरणीय क्षति :–**

प्रथम दृष्टया प्रकरण , सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षति प्रार्थीगण की तुलना में अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में निहित है। प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण खारिज किये जाने योग्य है।

अतः आज्ञा है कि :–

प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0 एक्ट खारिज किया जाता है। पूर्व में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 09/11/2020 को खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 01/10/2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(संजय गोयल)
उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)